

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०-पि०व०यो०-४०-०८/२०१५-१५७३

प्रेषक,

Mail

सेवा में,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक—३—७—१५

विषय:- मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत मेधावृत्ति राशि का वितरण किस आधार पर किया जाता है। प्रायः जिलों में ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त सूची, जो विभाग द्वारा जिलों को प्रेषित की जाती है। उसमें प्रारंभिक स्तर पर नाम अंकित रहने के बावजूद कई छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता है जबकि उनके बाद वाले क्रम पर अंकित छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जाता है, जिसके कारण विभाग में अनावश्यक रूप से छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र प्राप्त होते रहता है, जिसका निष्पादन करने में कार्यालय का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाता है।

उक्त के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय और भविष्य में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के आलोक में ही मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत प्रदत्त मेधावृत्ति राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०-पि०व०यो०-४०-०८/२०१५-

प्रेषक,

Mail

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।
सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक—

विषय:— मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत मेधावृत्ति राशि का वितरण किस आधार पर किया जाता है। प्रायः जिलों में ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त सूची, जो विभाग द्वारा जिलों को प्रेषित की जाती है। उसमें प्रारंभिक स्तर पर नाम अंकित रहने के बावजूद कई छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता है जबकि उनके बाद वाले क्रम पर अंकित छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जाता है, जिसके कारण विभाग में अनावश्यक रूप से छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र प्राप्त होते रहता है, जिसका निष्पादन करने में कार्यालय का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाता है।

उक्त के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय और भविष्य में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के आलोक में ही मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत प्रदत्त मेधावृत्ति राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

४०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

झापांक— पि०व०यो०-४०-०८/२०१५ पटना, दिनांक— ३०.७.१५

Mail

प्रतिलिपि— सभी उप निदेशक कल्याण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत मेधावृत्ति राशि का वितरण विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में ही करवाना सुनिश्चित करेंगे।

४०/०८
सरकार के उप सचिव।